MPSV ईवीएम · ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव · मतदान दल, ज़ोनल मजिस्ट्रेट और RO के लिए

मशीन बदलनी पड़े तो: मॉकपोल में और मतदान के दौरान

मॉकपोल में ज़्यादातर सिर्फ़ खराब यूनिट बदलती है और मतदान शुरू होने के बाद पूरा सेट, पर दोनों में अपवाद हैं (नीचे देखें)। पेज 2 से आदेश और मार्गदर्शिका के असली पन्ने, काम की पंक्तियाँ पीले में।

आधार: आयोग के पत्र 5468, दिनांक 04.08.2026 और 9508, दिनांक 28.09.2026 · EVM मार्गदर्शिका 2026, पृ. 20, 87, 191, 194 · आदेश 1024, दिनांक 27.01.2026 (संकलन पृ. 309, 315)

✓ एक नज़र में: मशीन कब खराब हुई?

चरण A · मतदान शुरू होने से पहले

मॉकपोल में खराबी

- **कोई एक यूनिट खराब:** सिर्फ़ वही यूनिट बदलें [5468 B-6]
- **बीप न आए, Busy जलता रहे या Ready झपकता रहे:** पूरा सेट [5468 B-5]
- **LINK ERROR / BU NOT RESPONDING:** कनेक्शन हटाकर फिर जोड़ें, एक से ज़्यादा BU हों तो उनका क्रम ठीक करें; फिर भी आए तो संबंधित BU [5468 B-3]
- **INVALID या INOPERATIVE:** CRC पूरा करें (उस समय BU-CU जुड़े रहें), फिर मॉकपोल; फिर भी आए तो CU [5468 B-4]
- **ERROR-3:** CU बदलें [9508 B-1(iii)]
- **CLOCK ERROR:** CU बदलें, पर पहले पुष्टि (नीचे पीला बॉक्स) [5468 B-2]

बदलने के बाद

- बदली गई मशीन से भी मॉकपोल कराएँ [मार्गदर्शिका पृ. 20, बिंदु 3]
- अभ्यर्थियों को भी इसकी लिखित सूचना दी जाए [संकलन पृ. 315, (iv)]

चरण B · मतदान शुरू होने के बाद

मतदान के दौरान खराबी

- **कोई भी एक यूनिट (BU या CU) खराब:** पूरा सेट [5468 C-1]
- **LINK ERROR / BU NOT RESPONDING:** कनेक्शन हटाकर फिर जोड़ें, एक से ज़्यादा BU हों तो उनका क्रम ठीक करें; फिर भी आए तो पूरा सेट [5468 C-2]
- **बीप न आए, Busy जलता रहे या Ready झपकता रहे:** पूरा सेट [5468 C-5]
- **ERROR-3:** पूरा सेट; खराब मशीन मतदान में इस्तेमाल हो चुकी, इसलिए उसे भी बदली मशीन के साथ जमा कराएँ [9508 C(ii)]
- **CLOCK ERROR या समय मेल न खाए:** CU न बदलें उसी CU से मतदान; PO पंचनामा बनाएँ, अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लें [5468 C-7]

बदलने के बाद

- नई मशीन पर फिर मॉकपोल [5468 C-3] [मार्गदर्शिका पृ. 87, (8)]
- PO परिशिष्ट-7 भाग-2 की अतिरिक्त घोषणा पढ़ें; जितनी बार नई मशीन लगे, उतनी बार [पृ. 87, (8)] [पृ. 191]
- अभ्यर्थियों को भी इसकी लिखित सूचना दी जाए [संकलन पृ. 315, (iv)]

+ दोनों चरणों में

मदद किससे लें, क्या न करें

CU के डिस्प्ले पर ऊपर की किसी भी दिक्कत में अपने इलाके के ज़ोनल मजिस्ट्रेट के ज़रिये SDO के अधिकृत इंजीनियर से संपर्क करें। [5468, भाग B और C का नोट] FLC की शर्तों में यह भी है: फ़ील्ड में मशीन की मरम्मत, उसका प्लास्टिक केबिनेट खोलना या उसका कोई पुर्ज़ा बदलना पूरी तरह मना है। [संकलन पृ. 309, (x)]

कागज़ पर दर्ज

PO की डायरी (परिशिष्ट-8) की मद 24 पूछती है: “क्या आपने मतदान के पूर्व मतदान के बीच किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो तो उनके उपयोग में लाने से पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर जैसा कि आवश्यक है घोषणाएं की हैं ?” [मार्गदर्शिका पृ. 194] RO अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं कि कौन-सी CU या BU बदली गई। [संकलन पृ. 315, (12)(i)] बालोतरा का प्रपत्र ETS-3 (खाली प्रति पेज 10 पर): मॉकपोल से पहले/दौरान बदली मशीनों का लेखा, ECIL इंजीनियर और RO पंचायत समिति के हस्ताक्षर से; PO को सामग्री में मिलता है।

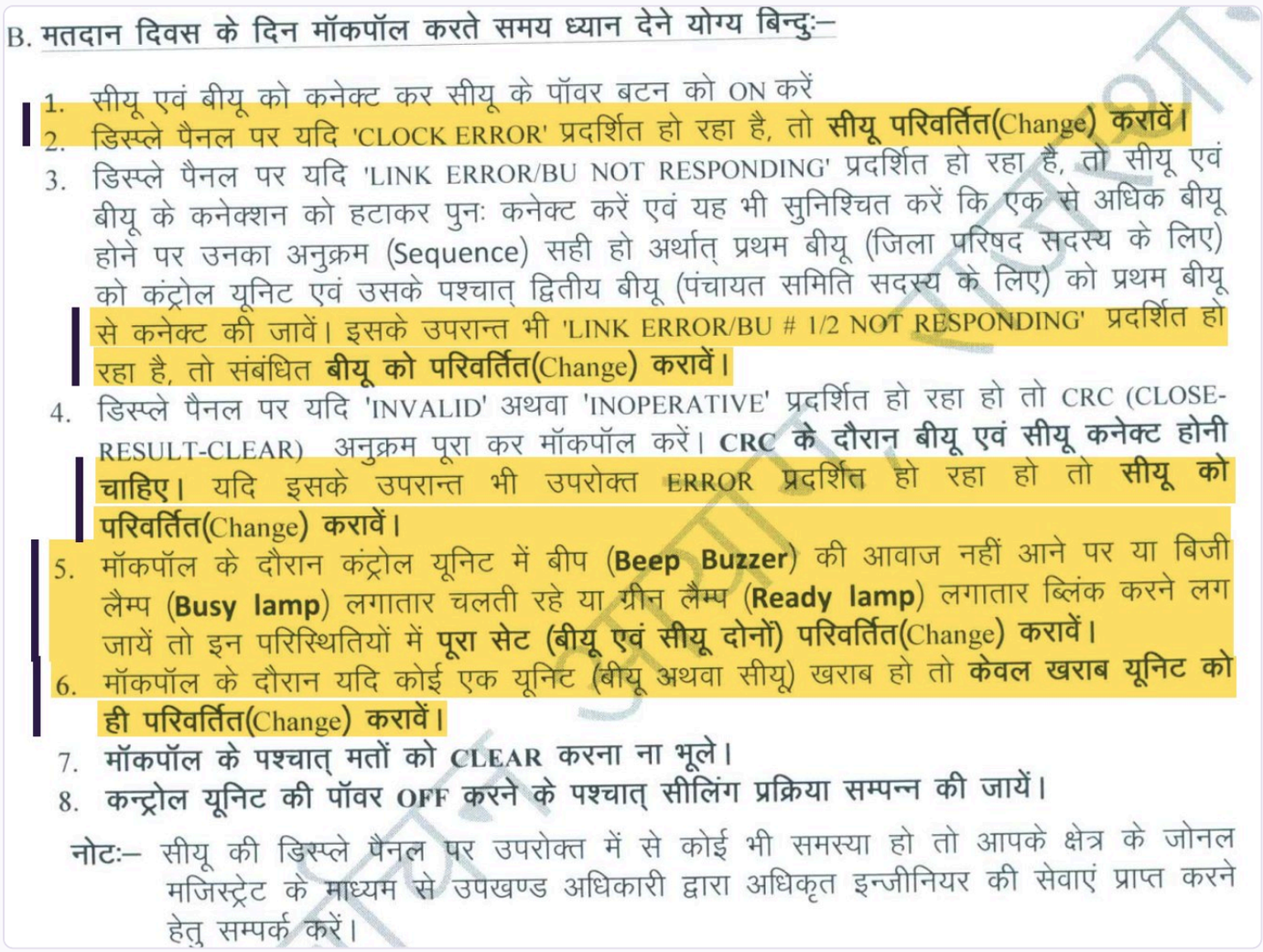
मॉकपोल में CLOCK ERROR: CU बदलने से पहले पुष्टि कर लें

पत्र 5468 के अनुसार मॉकपोल में CLOCK ERROR आए तो CU बदलनी है। [B-2] MPSV की CU सीमित हैं, इसलिए DEO यह व्यवस्था भी कर सकते हैं कि सिर्फ़ CLOCK ERROR पर CU न बदली जाए। ऐसे में CU बदलने या वही रखने से पहले ज़ोनल मजिस्ट्रेट के ज़रिये RO या DEO से पुष्टि कर लें।

A मॉकपोल में: आदेश के पन्ने पर

पीले में वे पंक्तियाँ हैं जिनकी बात पेज 1 पर है; बाईं गहरी पट्टी ब्लैक-एंड-व्हाइट प्रिंट में भी दिखती है। हर पन्ने के नीचे लिंक से पूरा आदेश खुलता है।

पत्र 5468, भाग B (मॉकपोल): B-2 CLOCK ERROR पर CU · B-3 LINK ERROR पर संबंधित BU · B-4 INVALID/INOPERATIVE पर CRC, फिर CU · B-5 बीप/Busy/Ready पर पूरा सेट · B-6 बाकी खराबी में सिर्फ़ वही यूनिट



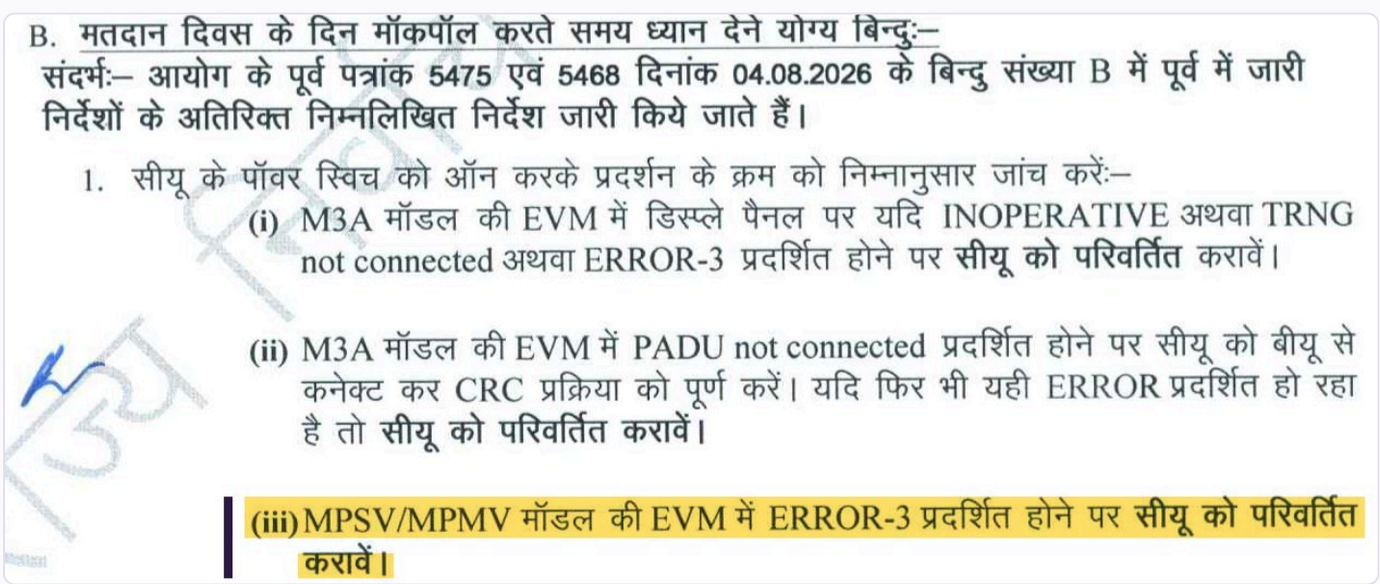
B. मतदान दिवस के दिन मॉकपॉल करते समय ध्यान देने योग्य बिन्दुः–

1. सीयू एवं बीयू को कनेक्ट कर सीयू के पॉवर बटन को ON करें
2. डिस्प्ले पैनल पर यदि 'CLOCK ERROR' प्रदर्शित हो रहा है, तो **सीयू परिवर्तित(Change) करावें।**
3. डिस्प्ले पैनल पर यदि 'LINK ERROR/BU NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है, तो सीयू एवं बीयू के कनेक्शन को हटाकर पुनः कनेक्ट करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि एक से अधिक बीयू होने पर उनका अनुक्रम (Sequence) सही हो अर्थात् प्रथम बीयू (जिला परिषद सदस्य के लिए) को कंट्रोल यूनिट एवं उसके पश्चात् द्वितीय बीयू (पंचायत समिति सदस्य के लिए) को प्रथम बीयू से कनेक्ट की जावें। इसके उपरान्त भी 'LINK ERROR/BU # 1/2 NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है, तो संबंधित **बीयू को परिवर्तित(Change) करावें।**
4. डिस्प्ले पैनल पर यदि 'INVALID' अथवा 'INOPERATIVE' प्रदर्शित हो रहा हो तो CRC (CLOSE-RESULT-CLEAR) अनुक्रम पूरा कर मॉकपॉल करें। **CRC के दौरान बीयू एवं सीयू कनेक्ट होनी चाहिए।** यदि इसके उपरान्त भी उपरोक्त ERROR प्रदर्शित हो रहा हो तो **सीयू को परिवर्तित(Change) करावें।**
5. मॉकपॉल के दौरान कंट्रोल यूनिट में बीप (**Beep Buzzer**) की आवाज नहीं आने पर या बिजी लैम्प (**Busy lamp**) लगातार चलती रहे या ग्रीन लैम्प (**Ready lamp**) लगातार ब्लिंक करने लग जायें तो इन परिस्थितियों में **पूरा सेट (बीयू एवं सीयू दोनों) परिवर्तित(Change) करावें।**
6. मॉकपॉल के दौरान यदि कोई एक यूनिट (बीयू अथवा सीयू) खराब हो तो **केवल खराब यूनिट को ही परिवर्तित(Change) करावें।**
7. **मॉकपॉल के पश्चात् मतों को CLEAR करना ना भूले।**
8. **कन्ट्रोल यूनिट की पॉवर OFF करने के पश्चात् सीलिंग प्रक्रिया सम्पन्न की जायें।**

नोटः– सीयू की डिस्प्ले पैनल पर उपरोक्त में से कोई भी समस्या हो तो आपके क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधिकृत इन्जीनियर की सेवाएं प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें।

पत्र 5468, दिनांक 04.08.2026, पृ. 2 · पन्ना खोलें

पत्र 9508, भाग B-1(iii): MPSV/MPMV में ERROR-3 आए तो CU बदलें



B. मतदान दिवस के दिन मॉकपॉल करते समय ध्यान देने योग्य बिन्दुः–

संदर्भः– आयोग के पूर्व पत्रांक 5475 एवं 5468 दिनांक 04.08.2026 के बिन्दु संख्या B में पूर्व में जारी निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. सीयू के पॉवर स्विच को ऑन करके प्रदर्शन के क्रम को निम्नानुसार जांच करेंः–
 (i) M3A मॉडल की EVM में डिस्प्ले पैनल पर यदि INOPERATIVE अथवा TRNG not connected अथवा ERROR-3 प्रदर्शित होने पर **सीयू को परिवर्तित** करावें।
 (ii) M3A मॉडल की EVM में PADU not connected प्रदर्शित होने पर सीयू को बीयू से कनेक्ट कर CRC प्रक्रिया को पूर्ण करें। यदि फिर भी यही ERROR प्रदर्शित हो रहा है तो **सीयू को परिवर्तित करावें।**
 (iii) MPSV/MPMV मॉडल की EVM में ERROR-3 प्रदर्शित होने पर **सीयू को परिवर्तित करावें।**

पत्र 9508, दिनांक 28.09.2026, पृ. 1 · पन्ना खोलें

B मतदान के दौरान: आदेश के पन्ने पर

पत्र 5468, भाग C (मतदान के दौरान): C-1 कोई भी यूनिट खराब तो पूरा सेट · C-2 LINK ERROR पर पूरा सेट · C-3 नई मशीन पर फिर मॉकपोल · C-5 बीप/Busy/Ready पर पूरा सेट

C. मतदान के दौरान

1. मतदान के दौरान यदि कोई भी एक यूनिट (बीयू अथवा सीयू) खराब हो तो **पूरा सेट (बीयू एवं सीयू दोनों) परिवर्तित(Change) करें।**
2. डिस्प्ले पैनल पर यदि 'LINK ERROR/BU NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है, तो सीयू एवं बीयू के कनेक्शन को हटाकर पुनः कनेक्ट करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि एक से अधिक बीयू होने पर उनका अनुक्रम (Sequence) सही हो अर्थात् प्रथम बीयू (जिला परिषद सदस्य के लिए) को कंट्रोल यूनिट एवं उसके पश्चात् द्वितीय बीयू (पंचायत समिति सदस्य के लिए) को प्रथम बीयू से कनेक्ट की जावें। इसके उपरान्त भी 'LINK ERROR/BU # 1/2 NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है, तो **पूरा सेट (बीयू एवं सीयू दोनों) परिवर्तित(Change) करें।**
3. जब भी मशीन परिवर्तित करके नई मशीन काम में ली जायें तो पुनः मॉक पोल आयोजित किया जाये।
4. मतदान के दौरान Close बटन की कैप को लगाकर रखें। गलती से भी Close बटन नहीं दबना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जायें।
5. मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट में बीप (**Beep Buzzer**) की आवाज नहीं आने पर या बिजी लैम्प (**Busy lamp**) लगातार चलती रहे या ग्रीन लैम्प (**Ready lamp**) लगातार ब्लिंक करने लग जायें तो इन परिस्थितियों में **पूरा सेट (बीयू एवं सीयू दोनों) परिवर्तित(Change) करावें।**

पत्र 5468, दिनांक 04.08.2026, पृ. 2 · पन्ना खोलें

पत्र 5468, C-7: CLOCK ERROR या समय मेल न खाए तो CU न बदलें, उसी CU से मतदान; पंचनामा

7. मशीन के डिस्प्ले पैनल पर 'CLOCK ERROR' प्रदर्शित होने अथवा मशीन पर प्रदर्शित समय एवं वास्तविक समय में भिन्नता होने पर **सीयू परिवर्तित नहीं कराते हुए उसी सीयू का उपयोग निर्वाचन के लिय किया जावें** एवं सीयू में प्रदर्शित समय के संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा एक पंचनामा (संलग्न सारणी) तैयार किया जायें। सारणी की कॉलम संख्या 3 में क्लॉक ऐरर या मशीन में प्रदर्शित समय का इन्द्राज करें। उक्त पंचनामें पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिये जाये एवं चुनाव संपन्न होने के पश्चात् पंचनामा को पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ लगाकर रखा जायें।

पत्र 5468, दिनांक 04.08.2026, पृ. 3 · पन्ना खोलें

पत्र 9508, भाग C(ii): MPSV/MPMV में ERROR-3 आए तो पूरा सेट; खराब मशीन मतदान में इस्तेमाल हो चुकी, इसलिए वह भी बदली मशीन के साथ जमा

संदर्भः– आयोग के पूर्व पत्रांक 5475 एवं 5468 दिनांक 04.08.2026 के बिन्दु संख्या C में पूर्व में जारी निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं।

(i) M3A मॉडल की EVM में डिस्प्ले पैनल पर INOPERATIVE अथवा TRNG not connected प्रदर्शित होने पर **रिटर्निंग अधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत करावें एवं रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराते हुए आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।**

(ii) MPSV/MPMV मॉडल की EVM में ERROR-3 प्रदर्शित होने पर सीयू व बीयू के पूरे सैट को परिवर्तित करावें। उक्त खराब हुई मशीन का उपयोग मतदान प्रक्रिया मे हो जाने के कारण इस मशीन को परिवर्तित मशीन के साथ जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

पत्र 9508, दिनांक 28.09.2026, पृ. 2 · पन्ना खोलें

V बदली मशीन पर मॉकपोल, और अभ्यर्थियों को सूचना

मार्गदर्शिका पृ. 20, बिंदु 3: दोनों पदों की मशीनों से मॉकपोल; मशीन बदली जाए तो बदली गई मशीन से भी मॉकपोल

3. दोनों पदों (जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य) के लिए प्रयुक्त वोटिंग मशीनों से मॉकपॉल कराया जायेगा और यदि किसी स्थिति में मशीन बदली जाती हैं तो बदली गई मशीन से भी मॉकपॉल कराया जायेगा।

इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के चुनाव में भी प्रयुक्त वोटिंग मशीनों से मॉकपॉल कराया जायेगा और किसी स्थिति में मशीन बदली जाती हैं तो बदली गई मशीन से भी मॉकपॉल कराया जायेगा।

4. पीठासीन अधिकारी मॉकपॉल का प्रमाण पत्र परिशिष्ठ–19 पर दिये गये प्ररूप में तैयार करेगा। इस तैयार किये गये प्रमाण–पत्र को परिशिष्ट–7 पीठासीन अधिकारी की घोषणा के साथ संलग्न करेगा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी में बिन्दु संख्या 25 अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण में मॉकपॉल का विवरण एवं जारी प्रमाण पत्र का उल्लेख करेगा। मॉकपॉल जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के लिये अलग–अलग करना होगा, तथा मॉकपॉल का अलग–अलग प्रमाण–पत्र तैयार करना होगा।

इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के लिए भी अलग–अलग मॉकपॉल तथा मॉकपॉल प्रमाण–पत्र तैयार करना होगा।

EVM मार्गदर्शिका 2026, पृ. 20 · पन्ना खोलें

मार्गदर्शिका पृ. 87, (8): मतदान के दौरान नई मशीन लगे तो उस पर मॉकपोल, फिर परिशिष्ट-7 की अतिरिक्त घोषणा; हर बार

(8) **नई मतदान मशीन के उपयोग के समय पालन की जाने वाली प्रक्रियाः–** यदि मतदान के दौरान विशेष परिस्थितियों के कारण नई मतदान मशीन का उपयोग करना आवश्यक हो जाये तो नई मशीन से भी मॉकपॉल की प्रक्रिया पूर्ण कर आपसे पुनः परिशिष्ट–7 में विहित किये अनुसार, अतिरिक्त घोषणा पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा जब कभी नई मशीन उपयोग के लिए ली जाए तब करना होगा।

EVM मार्गदर्शिका 2026, पृ. 87 · पन्ना खोलें

आदेश 1024, (iv): मतदान से पहले या मतदान के दौरान मशीन बदले तो अभ्यर्थियों को लिखित सूचना · **(12)(i):** RO के रजिस्टर में कौन-सी CU/BU बदली

(ii) पीठासीन अधिकारियों को जब मशीनें वितरित की जाये तब पीठासीन अधिकारियों के प्राप्ति हस्ताक्षर लिए जाये। कौनसी मशीन किस मतदान बूथ के लिए दी गई है इसका पर्याप्त रिकार्ड रखा जाये। मतदान दलों को मशीनें देते समय सुनिश्चित किया जाए कि मशीनों पर लगी हुयी सभी सीलें सुरक्षित हैं।

(iii) पीठासीन अधिकारियों को यह भी बताया जाये कि उन्हें प्रदान की गई मशीन का नंबर वे चैक कर लें कि मशीन का नंबर मशीन के पीछे लगे स्टीकर, मतपत्र और ऐड्रेस टैग के अंकन के अनुसार ही है।

(iv) जहां किसी मतदान केन्द्र पर मतदान से पूर्व या मतदान के दौरान कोई मशीन बदली जाये तो उसकी लिखित सूचना अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराई जाये।

(12) वोटिंग मशीन से संबंधित रजिस्टर का संधारणः–

(i) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी अपने स्तर पर मतदान के उपयोग हेतु प्राप्त सभी मशीनों के विवरण के साथ एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें ये समस्त जानकारी होगी कि कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेंट यूनिट कौनसी पंचायत की किस मतदान केन्द्र पर उपयोग में आयी है, किस चुनाव में काम आयी है या कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट बदली गई है आदि।

आदेश 1024, दिनांक 27.01.2026, संकलन पृ. 315 · पन्ना खोलें

B मतदान में बदली: परिशिष्ट-7 भाग-2 और डायरी

मार्गदर्शिका इन्हें “पीठासीन अधिकारी” लिखती है; इस साइट पर यही मतदान अधिकारी (PO) हैं। दोनों के पूरे पन्ने, छपाई के लिए: पेज 6 से 9।

परिशिष्ट-7 भाग-2, बाद वाली मशीन के उपयोग के समय PO की घोषणा: (1) अभिकर्ताओं और मौजूद लोगों को मॉकपोल से दिखा दिया कि अगली मशीन खाली है और ठीक चल रही है; (2) CU के परिणाम खंड की पेपर सील पर ख़ुद हस्ताक्षर किए और इच्छुक अभिकर्ताओं से कराए। नीचे अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, मना करने वालों के नाम और तारीख।

भाग—2

(बाद वाली मतदान मशीन के उपयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं यह घोषणा करता हूँ कि:—

1. मैने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली अगली मतदान मशीन खाली है और सुचारू रूप से कार्य कर रही है।
2. मैने मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये है और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिए है, जो यहां उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है:—

1. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

EVM मार्गदर्शिका 2026, पृ. 191 · पन्ना खोलें

PO की डायरी (परिशिष्ट-8), मद 24: नई मशीन लगी हो तो उपयोग से पहले और मतदान खत्म होने पर ज़रूरी घोषणाएँ कीं?

(24) क्या आपने मतदान के पूर्व मतदान के बीच किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो तो उनके उपयोग में लाने से पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर जैसा कि आवश्यक है घोषणाएं की हैं ?

EVM मार्गदर्शिका 2026, पृ. 194 · पन्ना खोलें

भाग–2
(बाद वाली मतदान मशीन के उपयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं यह घोषणा करता हूँ किः–

1. मैने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली अगली मतदान मशीन खाली है और सुचारू रूप से कार्य कर रही है।
2. मैने मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये है और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिए है, जो यहां उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया हैः–

1. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

भाग–3
(मतदान के अन्त में मतदान मशीन को मोहर युक्त करने के बाद की गई घोषणा)

मैनें अपनी मोहर लगा दी है और मतदान की समाप्ति पर जो मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे, उन्हे मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिअ के बक्सों पर अपनी मोहर लगाने की अनुमति दे दी है।

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया हैः–

1. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

परिशिष्ट – 8

पीठासीन ऑफिसर (प्रिंसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी

(1)	जिला परिषद् का नाम व निर्वाचन क्षेत्र सं.	
(2)	पंचायत समिति का नाम व निर्वाचन क्षेत्र सं.	
(3)	मतदान की तारीख	
(4)	मतदान बूथ का नम्बर व नाम	
(5)	मतदान मशीन	
	(1) उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिट की सं.	1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच
	(2) उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिटों की पहचान क्रम संख्या	1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच
	(3) उपयोग में ली गयी बैलेट यूनिटों की सं.	1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच
	(4) उपयोग में ली गयी बैलेट यूनिटों की पहचान क्रम संख्या	
(6)	(1) उपयोग में लाई गई पेपर सीलों का क्रमांक	1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच
	(2) उपयोग में लाई गई स्ट्रीप सील का क्रमांक	1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच
(7)	मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आये हों, उनकी संख्या	1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच
(8)	ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होने मतदान बूथ पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये हैं	1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच
(9)	(1) मतदान बूथ पर कुल मतदाताओं की संख्या	
	(2) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात किये गये मतदाताओं की संख्या	1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच1 जि.प. सदस्य /सरपंच
	(3) मतदाता पंजिका (प्ररूप 12 क) के अनुसार मतदाताओं की संख्या जिन्होने मत दिया	 2. पं. स. सदस्य/पंच
	(4) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतो की संख्या	
	 प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर	 मतदाता पंजिका के प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर
(10)	निर्वाचकों की संख्या जिन्होने, मतदान किया :–	पुरूषमहिला.....योग.....

(11)	निविदत (टेण्डर्ड) मतों की कुल संख्या	1 जि.प. सदस्य / सरपंच 2. पं. स. सदस्य / पंच
(12)	निर्वाचकों की संख्या :–	
	(क) जिनसे उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की	
	(ख) जिन्होने ऐसी घोषणा से इन्कार किया	
(13)	निर्वाचकों की	
	(क) जिनकी फोटो मतदाता पहचान पत्र से पहचान की गई	
	(ख) जिनकी वैकल्पिक दस्तावेजों से पहचान की गई	_____
(14)	मतदान करने वाले दृष्टि हीन मतदाताओं की संख्या, जिनकी नियम 41–क में सहायता की गई।	
(15)	क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था ? यदि हॉ तो ऐसे स्थगन के कारण	
(16)	डाले गये मतों की संख्या :	
	(क) मतदान प्रारम्भ होने से 10 बजे पूर्वान्ह तक	_____
	(ख) 10 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे मध्यान्ह तक	
	(ग) 1 बजे मध्यान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक	
	(घ) 3 बजे अपरान्ह से मतदान समाप्त होने तक	
(17)	मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय पर दी गई पर्चियों (स्लिप्स की संख्या)	_____
(18)	व्योरों सहित निर्वाचन अपराध निम्नलिखित मामलों की संख्या :–	
	(क) मतदान बूथ से 100 मीटर की दूरी के भीतर मत सयाचना	_____
	(ख) मतदाताओं द्वारा रूप–धारण (Impersonation) किया जाना	_____
	(ग) मतदान बूथ पर किसी सूची या सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाडना, नष्ट करना या हटाना	
	(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना	
	(ड) मतदाताओं (तथा अन्य व्यक्तियों) को भयभीत करना	
	(च) बूथ कैपचरिंग	

(19) यदि निम्नलिखित कारणों से मतदान में विध्न अथवा बाधा उत्पन्न हुई हो, तो उनका विस्तृत रूप से उल्लेख किया जाये :–
(क) बलवा या खुली हिंसा
(ख) बूथ कैपचरिंग
(ग) मतदान मशीन का असफल होना
(घ) अन्य कोई कारण

(20) क्या मतदान बूथ पर उपयोग में ली गई किसी मतदान मशीन द्वारा मतदान को निष्फल बनाया गया :–
(क) पीठासीन ऑफिसर की अभिरक्षा से अवैधानिक रूप से छीनकर
(ख) विनिष्ट की गई अथवा उसमें गडबड़ी की गई
यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो उसका पूर्ण विवरण दिया जायें।

(21) अभ्यर्थी द्वारा की गई गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हों

(22) विधि तथा व्यवस्था भंग करने संबंधी मामलों की संख्या

(23) मतदान दल (पोलिंग पार्टी) द्वारा की त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पूर्ण विवरण

(24) क्या आपने मतदान के पूर्व मतदान के बीच किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो तो उनके उपयोग में लाने से पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर जैसा कि आवश्यक है घोषणाएं की हैं ?

(25) अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण (मॉकपॉल प्रमाण–पत्र संबंधित विवरण)

स्थान
तारीख.....

पीठासन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर)
के हस्ताक्षर

नोट :– (1) इस प्ररूप में यदि किसी मद के सामने पर्याप्त जगह न हो, तो सादे कागज पर जानकारी अंकित कर उसे इस डायरी के साथ नत्थी कर देना चाहियें।
(2) यह डायरी मतदान मशीन तथा अन्य सील्ड पेपर के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेषित करे।
(3) दोनों चुनावों की प्ररूप – 14 की पृथक–पृथक एक–एक प्रति भी संलग्न करें।
(4) पीठासीन अधिकारी की डायरी PS तथा ZP चुनाव के लिए एक ही होगी। इसी प्रकार पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए भी एक ही डायरी होगी।

राजस्थान सरकार

पंचायतीराज आम चुनाव 2026

वास्तविक मतदान से पूर्व (मोकपोल से पहले/दौरान) खराबी के कारण बदली गई मशीनों का लेखा

पंचायत समिति का नाम – जिला – बालोतरा दिनांक –

क्र.सं.	दिनांक व समय	मतदान केन्द्र सं.	मतदान केन्द्र का नाम	PS/ZP	यूनिट का प्रकार BU/CU	खराब यूनिट की Unit ID	रिज़र्व से बदली गई यूनिट की Unit Id	मोक–पोल से पहले या मोक पोल के दौरान	खराबी का कारण
1									
2									
3									
4									
5									

रिटर्निंग अधिकारी

हस्ताक्षर ECIL इंजीनियर (मय आईडी)

पंचायत समिति.....